

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 512]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 5 नवम्बर 2014—कार्तिक 14, शक 1936

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
“निर्वाचन भवन”
58, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

भोपाल, दिनांक 3 नवम्बर 2014

क्र. एफ-70-42-2003-तीन-नपा-1106.—संविधान के अनुच्छेद 243 यक एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 48 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग नगरपालिकाओं के निर्वाचन में मतदाताओं की पहचान स्थापित करने हेतु आयोग द्वारा पूर्व में जारी राजपत्र क्र. 282, दिनांक 10 जुलाई 2014 में निम्नलिखित कंडिका 2 को विलोपित करता है:—

विलोपित

“यदि कोई मतदाता कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो पीठासीन अधिकारी स्थानीय शासकीय विद्यालय के शिक्षक, उपलब्ध किसी शासकीय कर्मचारी अथवा किसी प्रतिष्ठित स्थानीय निवासी से उसकी पहचान स्थापित कराने के उपरांत, उसे मत देने हेतु अधिकृत कर सकेगा.”

हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल

फोन नं. 0755-2555527.